संख्या- २०२ /1-11-2016-7(जी)/2015

प्रेषक

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बागपत, गाजियाबाद, आगरा, मैनपुरी, हाथरस, एटा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रूखाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ, मीरजापुर, सोनभद्र, संतरविदास नगर, जौनपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोण्डा, बलरामपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव एवं रायबरेली ।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊः दिनांकः २० मई, 2016

विषयः–वर्ष 2015 में अवर्षण के कारण सूखाग्रस्त जनपदों में कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली खरीफ मौसम में लतावर्गीय सब्जियों एवं रबी मौसम हेतु संकर टमाटर, संकर फूलगोभी, संकर पातगोभी एवं प्याज की प्रोडक्शन ऑफ हाईवैल्यू वेजीटेबल एण्ड स्पाईसेस परियोजना हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में कियान्वयन हेतु 7590 हे0 क्षेत्रफल में कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली खरीफ मौसम में लतावर्गीय सब्जियों एवं रबी मौसम हेतु संकर टमाटर, संकर फूलगोभी, संकर पातगोभी एवं प्याज की प्रोडक्शन ऑफ हाईवैल्यू वेजीटेबल एण्ड स्पाईसेस परियोजना हेतु स्वीकृत रू0 23.48 करोड़ की धनराशि में से **रू0 12,78,00,000/– (रूपये बारह करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	जनपद	धनराशि (लाख में)
1	बागपत	21.600
2	गाजियाबाद	21.600
3	आगरा	26.800
4	मैनपुरी	26.800
5	हाथरस	27.800
6	एटा	26.800
7	रामपुर	20.400
8	पीलीभीत	24.400
9	शाहजहांपुर	24.400
10	कानपुरनगर	26.800

11	कानपुर देहात	26.800
12	औरैया	26.800
13	कन्नौज	26.800
14	इटावा	26.800
15	फरूर्खाबाद	26.800
16	झाँसी	21.000
17	जालौन	17.800
18	ललितपुर	17.800
19	चित्रकूट	16.800
20	बांदा	16.800
21	हमीरपुर	16.800
22	महोबा	16.800
23	इलाहाबाद	28.400
24	कौशाम्बी	28.400
25	फतेहपुर	29.400
26	प्रतापगढ़	26.200
27	मिर्जापुर	21.400
28	सोनभद्र	20.400
29	संतरविदास नगर	21.400
30	जौनपुर	29.400
31	चन्दौली	23.000
32	मऊ	28.400
33	बलिया	27.400
34	बस्ती	29.400
35	संतकबीर नगर	28.400
36	सिद्धार्थ नगर	29.400
37	गोरखपुर	29.400
38	महराजगज	29.400
39	कुशीनगर	26.200
40	देवरिया	26.200
41	गोण्डा	29.400
42	बलरामपुर	28.200
43	फैजाबाद	28.200
44	अम्बेडकर नगर	28.200
45	सुल्तानपुर	28.200
46	अमेठी	26.000
47	बाराबंकी	28.200
48	लखनऊ	31.800
49	उन्नाव	31.800
50	रायबरेली	30.600
	योग–	**1278.000**
	(रूपये बारह करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)	

शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित परियोजनाओं को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ईपेमेन्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

9- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

.- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-: 202(1)/ 1-11-2015-7(जी)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
Mohan
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।